रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1989/फाल्गुन 10, 1910
No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1989/PHALGUNA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1989

का. आ. 168 (अ):—केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च, 1989 से सीमेंट के मूल्य और वितरण नियंत्रण को हटाने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधियिम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ग और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1989 है ।

(2) यह 1 मार्च, 1989 को प्रवत्त होगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की प्रस्तावना के पैरा 1, पैरा 1क, पैरा 2 के खण्ड (घ) और (ग) पैरा 3, 3क, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 और उसकी अनुसूची का लोप किया जाएगा :

परन्तु ऐसे लोप किए जाने से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा––

(क) उक्त पैराओं का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात

(ख) उक्त पैराओं के अधीन उद्भूत, अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) उक्त पैराओं के संबंध में किए गए अपराध की बावत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, और

(ड.) ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित की जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त पैराओं का लोप न किया गया हो ।

[सं. 1-5/89—सीमेन्ट]

आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :––(मूल आदेश का. आ. 4590/18जी/67 तारीख 23-12-1967 द्वारा अधिसूचित किया गया था) ।

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1989

S.O. 168(E).—Whereas the Central Government has decided for the removal of price and distribution control of cement with effect from the first day of March, 1989;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 18G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the

Central Government hereby makes the following amendment in the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1989;

(2) It shall come into force on the First day of March, 1989.

2. Paragraph 1 to the Preamble, Paragraph 1A, clauses (d) and (e) of paragraph 2, paragraph 3, 3A, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and 12 and Schedule to the Cement Control Order, 1987, shall be omitted:

Provided that such deletion shall not affect —

(a) the previous operation of the said paragraphs or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said paragraphs; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said paragraphs; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and

(e) any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued, or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said paragraph had not been omitted.

[No. 1-5|89-Cem.]

R. K. SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal order was notified vide S.O. 4590-IDRA|18G|67. dt. 23rd December, 1967.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989